06/5/26

पत्रावली पेश की गई। अपीलार्थी उप० आये। अपीलार्थी
कि विद्वान अधि० वकील हाजिर हैं के बाद भी उपस्थित
नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जाती है बहस सुनी गई।
अपीलार्थी का अपील ज्ञापन पत्र को स्वीकार किया
जाता है। पत्रावली फैसला सुनाने हेतु नकल के
बाद में पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
07/2025	19.06.2025	06.05.2026

बउनवान

1. अशोक कुमार पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 हाल निवासी साजन की ढाणी बाडमेर राज0।

:– अपीलान्ट

बनाम

1. सुशीला देवी सरपंच ग्राम पंचायत जिन्दोली पंचायत समिति मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत जिन्दोली दिनांक 02.04.2025 को बेजा तौर पर रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर दर्ज इंतकाज संख्सा 86 खारिज किये जाने बाबत निम्न पेश है।

श्री अमित तिवाडी –: वकील अपीलान्ट

अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि अपील अपीलान्ट इंतकाल सं0 86 दिनांक 02/04/2025 आज्ञा ग्राम पंचायत जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के खिलाफ पेश की जा रही है।
2. यह है कि अपील अपीलान्ट में आदेश ग्राम पंचायत जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान द्वारा पारित किया गया है जिससे असतुंष्ट होकर पेश की जा रही है, जो श्रीमान के श्रवणाधिकार में है।
3. यह है कि अपील पर दो रूपयें कोर्ट फीस व उचित तलबाना शुल्क चस्पा है।
4. यह है कि मिन अपीलान्ट ने आराजी ख० नं0 354/0.04 है0, 357/0.58 है0, 380/0.76 है0, 382/0.29 है0, 284/0.12 है, कुल किता 5 कुल रकबा 1.36 है0, वाके ग्राम कादरनगर तहसील मुण्डावर में दिनांक 25/11/2024 को जरिये बैयनामा खरीद की थी जिस बैयनामा का इंतकाल सं0 86 पटवारी हल्का ने दरज कर दिया था परन्तू ग्राम पंचायत जिन्दोली ने उक्त इंतकाल पर यह लिखते हुये दिनांक 02/04/2025 को खारिज कर दिया कि इंतकाल से संबंधित व्यक्ति पंचायत मीटिंग में नहीं आया।
5. यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत जिन्दोली ने उक्त इंतकाल सं० 86 को विना किसी उचित कारण लिखे खारिज कर दिया जो आज्ञा दिनांक 02/04/2025 काबिल निरस्त है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

6. यह है कि ग्राम पंचायत जिन्दोली ने मिन अपीलान्ट को सुनवायी का कोई मौका नहीं दिया तथा ना ही उक्त आदेश बाबत कोई जानकारी दी उक्त गलत आदेश की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 10/06/2025 को होने पर नकले लेकर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। इसलिये दिनांक 02/04/2025 से आज दिनांक 10/06/2025 तक का समय कन्डोन फरमाया जाना न्यायसंगत है। साथ में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील पेशकर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं0 86 वाके ग्राम कादरनगर तहसील मुण्डावर अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाकर पुनः इंतकाल दर्ज किये जाने के लिये रेस्पोडेन्ट को आदेश दिये जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

1. यह है कि अपील अपीलान्ट इंतकाल सं० 86 दिनांक 02/04/2025 आज्ञा ग्राम पंचायत जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के खिलाफ पेश की जा रही है।
2. यह है कि अपील अपीलान्ट में आदेश ग्राम पंचायत जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान द्वारा पारित किया गया है जिससे असतुंष्ट होकर पेश की जा रही है, जो श्रीमान के श्रवणाधिकार में है।
3. यह है कि अपील पर दो रूपयें कोर्ट फीस व उचित तलबाना शुल्क चस्पा है।
4. यह है कि मिन अपीलान्ट ने आराजी ख0 नं0 354/0.04 है0, 357/0.58 है0, 380/0.76 है0, 382/0.29 है0, 384/0.19 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.36 है0, वाके ग्राम कादरनगर तहसील मुण्डावर में दिनांक 25/11/2024 को जरिये बैयनामा खरीद की थी जिस बैयनामा का इंतकाल सं0 86 पटवारी हल्का ने दरज कर दिया था परन्तु ग्राम पंचायत जिन्दोली ने उक्त इंतकाल पर यह लिखते हुये दिनांक 02/04/2025 को खारिज कर दिया कि इंतकाल से संबंधित व्यक्ति पंचायत मीटिंग में नहीं आया।
5. यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत जिन्दोली ने उक्त इंतकाल सं० 86 को बिना किसी उचित कारण लिखे खारिज कर दिया जो आज्ञा दिनांक 02/04/2025 काबिल निरस्त है।
6. यह है कि ग्राम पंचायत जिन्दोली ने मिन अपीलान्ट को सुनवायी का कोई मौका नहीं दिया तथा ना ही उक्त आदेश बाबत कोई जानकारी दी उक्त गलत आदेश की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 10/06/2025 को होने पर नकले लेकर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। इसलिये दिनांक 02/04/2025 से आज दिनांक 10/06/2025 तक का समय कन्डोन फरमाया जाना न्यायसंगत है।
7. यह है कि अपीलान्ट वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का रहने वाला है। इसलिए प्रस्तुत अपील न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

8. यह है कि अपील अन्दर मियाद पेश है।
9. यह है कि शेष उज्जात वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दिनांक 02/04/2025 से आज दिनांक 10/06/2025 तक का समय कन्डोन फरमाने की कृपा करे। एवं अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समझी जावें। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पोडेन्ट की विधिवत रूप से तामिल कराई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद रेस्पोडेन्ट उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली शामिल है।

अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थन पत्र के समर्थन में छायाप्रति विक्रय पत्र, इन्तकाल, जमाबन्दी पेश की।

बहस प्रार्थी की ओर से संक्षिप्त बहस

प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से निवेदन है कि ग्राम पंचायत जिन्दोली द्वारा इंतकाल संख्या 86 दिनांक 02.04.2025 को खारिज किया जाना पूर्णतः अवैधानिक, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलान्ट ने संबंधित भूमि आराजी खसरा नं. 354, 357, 380, 382 एवं 384 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर ग्राम कादरनगर तहसील मुण्डावर को विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से क्रय किया, जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 86 दर्ज किया गया था।

यह कि केवल "पंचायत बैठक में उपस्थित नहीं होने" के आधार पर इंतकाल खारिज करना विधि सम्मत नहीं है, जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र स्वयं स्वामित्व हस्तांतरण का वैध दस्तावेज है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को न तो समुचित नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया। अतः पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत "Audi Alteram Partem" के विपरीत होकर शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट को आदेश की जानकारी दिनांक 10.06.2025 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात तत्काल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर नियमानुसार अपील प्रस्तुत की गई। देरी जानबूझकर नहीं होकर पर्याप्त कारणों से हुई है, अतः विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित है।

अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र, जमाबन्दी एवं इंतकाल की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट वैध क्रेता है तथा उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना ठोस कारण एवं बिना विधिक आधार के इंतकाल निरस्त किया जाना अधिकार क्षेत्र का अनुचित प्रयोग है।

अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत जिन्दोली का आदेश दिनांक 02.04.2025 निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 86 पुनः बहाल/दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

करने हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित किया जावे तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया जावे।

संक्षिप्त विवेचन

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम, अभिलेख पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2024, इंतकाल संख्या 86, जमाबन्दी प्रतिलिपि एवं पक्षकारों की बहस का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने संबंधित भूमि विधिवत पंजीकृत बैयनामे के आधार पर क्रय की थी तथा उक्त आधार पर पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 86 दर्ज किया गया था।

ग्राम पंचायत जिन्दोली द्वारा केवल इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति पंचायत बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, इंतकाल खारिज कर दिया गया, जबकि आदेश में कोई ठोस विधिक कारण अंकित नहीं किया गया है। अभिलेख पर यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता।

अपीलान्ट द्वारा आदेश की जानकारी दिनांक 10.06.2025 को प्राप्त होना दर्शाया गया है तथा तत्पश्चात नियमानुसार अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत परिस्थितियों में विलम्ब हेतु दर्शाया गया कारण उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होने से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपलब्ध अभिलेख एवं परिस्थितियों के आधार पर ग्राम पंचायत जिन्दोली का आदेश दिनांक 02.04.2025 विधिसंगत नहीं पाया जाकर अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट को आंशिक स्वीकार की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत जिन्दौली द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित आदेश, जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 86 को खारिज किया गया था, निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर को रिमाण्ड की जाकर निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2024 की नियमानुसार जॉच कर पुनः अग्रीम कार्यवाही की जावें। **अहकाम जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा-राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner